भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 5786

सोमवार, 30 मार्च, 2026/9 चैत्र, 1948 (शक)

रोजगार की स्थिति और श्रामिक कल्याण योजनाएं

5786. प्रो. सौगत राय:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी और अल्प-रोजगार से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) संगठित और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए कार्यदशाओं और सामाजिक सुरक्षा में सुधार हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने श्रमिकों के अधिकारों और रोजगार संबंधी शर्तों पर चार नई श्रम संहिताओं के प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और संविदा श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ड) क्या सरकार के पास गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म-आधारित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) प्रवासी श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही श्रम कल्याण योजनाओं का ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(छ) क्या सरकार ने कार्यस्थल पर होने वाली बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने और उद्योगों तथा निर्माण क्षेत्र में व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (छ): रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, 15-29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 17.8% से

घटकर वर्ष 2023-24 में 10.2% हो गई है। साथ ही, 15-29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 में 31.4% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 41.7% हो गया है।

विधायी सुधारों के एक हिस्से के रूप में, केंद्रीय क्षेत्र में मौजूदा 29 अधिनियमों को चार संहिताओं अर्थात वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 में शामिल किया गया है। ये संहिताएं दिनांक 21 नवंबर, 2025 से प्रभावी हैं। इन संहिताओं का उद्देश्य सरलीकरण, युक्तिकरण और अनुपालन भार में कमी, फैक्ट्री लाइसेंस और ठेका श्रम लाइसेंस की सीमा बढ़ाने तथा छंटनी, काम से निकालने या बंद करने के लिए पूर्व अनुमति, और स्थायी आदेशों के लिए प्रमाणन आदि के माध्यम से व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देकर प्रत्येक कामगार की (गिग, प्लेटफॉर्म और प्रवासी कामगारों सहित) सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए रोजगार के अवसरों के सृजन में तेजी लाना है;

वेतन संहिता, 2019 में न्यूनतम वेतन के निर्धारण और भुगतान, समान पारिश्रमिक और सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान आदि के प्रावधान हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 में 10 या अधिक श्रमिकों वाले सभी प्रतिष्ठानों में यहां तक कि खतरनाक या जीवन-जोखिम वाले व्यवसायों को अंजाम देने वाले एक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान के लिए भी व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी मानकों के सार्वभौमिक अनुप्रयोग का प्रावधान करता है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 जीवन और विकलांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित लाभ प्रदान करने के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय तैयार करने का प्रावधान करती है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म कामगारों सहित असंगठित कामगारों के एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) के निर्माण के लिए दिनंक 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) लॉन्च किया। ई-श्रम पोर्टल असंगठित कामगारों को (गिग, प्लेटफॉर्म और प्रवासी कामगारों सहित) पंजीकृत करता है और उन्हें स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करता है।

असंगठित कामगारों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए ई-श्रम को “वन-स्टॉप समाधान” के रूप में विकसित करने की बजट घोषणा 2024-25 के दृष्टिकोण के अनुरूप, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम - “वन-स्टॉप समाधान” का शुभारंभ किया। ई-श्रम - “वन-स्टॉप समाधान” में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं का एकीकरण एक ही पोर्टल अर्थात् ई-श्रम पर किया गया है।

ई-श्रम कार्ड धारकों की सामाजिक सुरक्षा, बीमा अथवा कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुंच तथा लाभों के विस्तार हेतु अब तक विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (14) योजनाओं यथा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जीरामजी), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजय), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), आदि को ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है।

*****